राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या– 907 / रा0नि0आ0अनु0–2 / 989 / 2009

देहरादूनः दिनांकः 15 नवम्बर, .2011

(उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों की ग्राम पंचायतों के उप प्रधानों के रिक्त पदों / स्थानों पर उप–निर्वाचन।)

अधिसूचना

उत्तराखण्ड शासन के पंचायतीराज विभाग, देहरादून की अधिसूचना संख्या–932 / XII/2011/86(27) / 2007–टी0सी–I दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में विभिन्न प्रकार से रिक्त उप प्रधान के रिक्त पदों पर निर्वाचन / उप निर्वाचन शीघ्र कराया जाना आवश्यक है।

2. अतः भारत का संविधान के अनुच्छेद–243 'ट' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, हरिश्चन्द्र जोशी, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड एतदद्वारा निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में उप प्रधान के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारणी के अनुसार कराया जायः–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
30.11..2011 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक)	30.11..2011 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिन के 12:00 बजे तक)	30.11..2011 (दिन के 12:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक)	30.11..2011 (अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)	30.11..2011 (अपराह्न 01:30 बजे से अपराह्न 03:30 बजे तक)	30.11..2011 (अपराह्न 04:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

3. संबंधित जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले की संबंधित ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों पर निर्वाचन / उप निर्वाचन हेतु रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 17.11.2011 को जारी करेंगे, और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करेंगे तथा उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु संबंधित क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना–पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेगे।

4. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947)(यथासंशोधित) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप–प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 तथा तदधीन प्रख्यापित निर्वाचक नामावलियों के अनुसार इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन–प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं निर्देशित है। उप प्रधान के इन पदों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतदान, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी।

(हरिश्चन्द्र जोशी)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

क्रमशः.....2

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी वाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष / 2670457, 2670998
टैलीफैक्स :2670920, 2678945

संख्या– 907 (1)/रा0नि0आ0अनु0–2/989/2009 तद्दिनांक।(फैक्स)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
10. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाँयू मण्डल।
11. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
14. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
16. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
17. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित कराने का कष्ट करें।
18. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
19. समाचार सम्पादक, आकाशवाणी देहरादून केन्द्र।
20. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 10 (दस) प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
21. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
22. राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के सूचना पटट् हेतु।

आज्ञा से/

(एच.बी.थपलियाल)
संयुक्त सचिव।